रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224903 CG-DL-E-03022021-224903

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] No. 458] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2021/माघ 14, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021/MAGHA 14, 1942

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुम्बई, 2 फरवरी, 2021

का. आ. 503 (अ) .— "परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के भाग 2 के उप-भाग (1) के खण्ड (i) के तहत 13 सितम्बर 1971 को जारी सांविधिक कार्य आदेश का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अनुच्छेद 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को पदार्थ या सामग्री में रेडियोसक्रियता का स्तर विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत करती है। इससे अधिक होने पर ऐसे पदार्थ या सामग्री को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 'रेडियोसक्रिय पदार्थ या रेडियोसक्रिय सामग्री' माना जाएगा"

[फा. सं. 32/01/2019-ईआर]

रंजीत कुमार, प्रमुख, नाभिकीय नियंत्रण एवं आयोजना विंग/संयुक्त सचिव(ईआर)

692 GI/2021 (1)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd February, 2021

S.O. 503 (E) .— "In supersession of S.O.4083 issued on 13th September 1971 under clause(i) of subsection(1) of section 2 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 27 Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), hereby authorizes Chairman, Atomic Energy Regulatory Board (AERB), to specify radioactivity levels in substance or material exceeding which such substance or material shall be deemed to be a 'radioactive substance or radioactive material' under Atomic Energy Act, 1962."

[F.No. 32/01/2019-ER]

RANAJIT KUMAR, Head, Nuclear Controls & Planning Wing/Jt. Secy.(ER)

अधिसूचना

मुम्बई, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 504 (अ).— " केन्द्र सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अनुच्छेद 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम, 2004 के तहत सक्षम प्राधिकारी होने के नाते सीमा तय करने की शक्तियां प्रदान करती है। इससे कम होने पर विकिरण उत्पन्न करने वाले उपकरण, विकिरण उत्सर्जित करने वाले डिवाइस या एप्लाएंस को परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियमावली, 2004 के नियम 5 के तहत छूट प्रदान की जानी है।

[फा. सं. 32/01/2019- ईआर]

रंजीत कुमार, प्रमुख, नाभिकीय नियंत्रण एवं आयोजना विंग/ संयुक्त सचिव(ईआर)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd February, 2021

S.O. 504 (E).— "In exercise of the powers conferred by Section 27 of Atomic Energy Act, 1962(33 of 1962), the Central Government hereby empowers Chairman, Atomic energy Regulatory Board (AERB), by virtue of being the Competent Authority under Atomic Energy(Radiation Protection) Rules, 2004, to determine the limit below which the use of the radiation generating equipment, devices or appliances emitting radiation are to be exempted under rule 5 of the Atomic energy (Radiation Protection) Rules, 2004."

[F.No. 32/01/2019-ER]

RANAJIT KUMAR, Head, Nuclear Controls & Planning Wing/Jt. Secy. (ER)